

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1226

दिनांक 03/06/2022

प्रार्थीगण :-

1. मेसाराम 2.तगागाम पि.मूलाराम 3.लिखमा पुत्र दोलाराम 4.पेम्पादेवी पत्नि दोलाराम 5.गोरखा 6.हनुमानराम पि.भगवाना 7.सोनीदेवी पत्नि भगवाना 8.लूणाराम 9.गोमाराम 10.आईदानराम 11.भूराराम पि. ताजाराम 12.चिमूदेवी पत्नि ताजाराम, जातियान कुम्हार, निवासी मान जैसासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

- 1.जेताराम पुत्र मोटाराम 2.नेनाराम पुत्र डूंगराराम 3.जोगाराम पुत्र घमण्डाराम, जाति जाट, 4.सामा पुत्र डूंगराराम 5.घमण्डा पुत्र दुर्गाराम 6.रूपाराम पुत्र हिन्दूराम, जाति रबारी 7.वगताराम पुत्र नरसिंगाराम 8.कोशला पुत्र हरजीराम, जाति प्रजापत, निवासी मान जैसासर 9.रतना 10.बाबरा पि.जोराराम 11.सोना 12.अमरा पि.बलू 13.बेसरा पुत्र कासण 14.सवाई पुत्र लक्ष्मणा 15.केसा पुत्र चिमना, जाति रबारी, निवासी तारातरा, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 104/2021

दिनांक : 03.06.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा तारातरा डेर के खेत खसरा सं. 315 रकबा 20.07 बीघा एवं मौजा मान जैसासर के खसरा सं. 1117 रकबा 00.01 बीघा, खसरा सं. 1118 रकबा 60.17 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे ।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1227 to 1230

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण मेसाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण जेताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 03/06/2022

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन